रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 152] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 21, 1969/वैशाख 1, 1891
No. 152] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 21, 1969/VAISAKHA 1, 1891

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April 1969

S.O. 1505.—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely:—

1. **Short title.**—These rules may be called the Registration of Electors (Amendment) Rules, 1969.

2. **Amendment of rule 28.**—In rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960—

(i) in the heading, the words "in municipal areas" shall be omitted; and

(ii) in sub-rule (1), *for* the words "any such constituency in municipal areas", the following words shall be substituted, namely:—

"any such constituency or part thereof".

[No. F.7(8)/69-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1969

का० आ० 1506.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम**—ये नियम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1969 कहे जा सकेंगे ।

2. **नियम 28 में संशोधन**—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के—

(i) शीर्षक में से, 'नगरपालीय क्षेत्रों में के' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा ; और

(ii) उप-नियम (1) में, 'नगरपालीय क्षेत्रों में के किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र' शब्दों के स्थान में निम्नलिखित शब्द रख दिए जायेंगे, अर्थात् :—

"किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र या उसके भाग" ।

[सं०फा० 7(8)/69–वि०2]

एन० डी० पी० नम्बूदिरीपाद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969